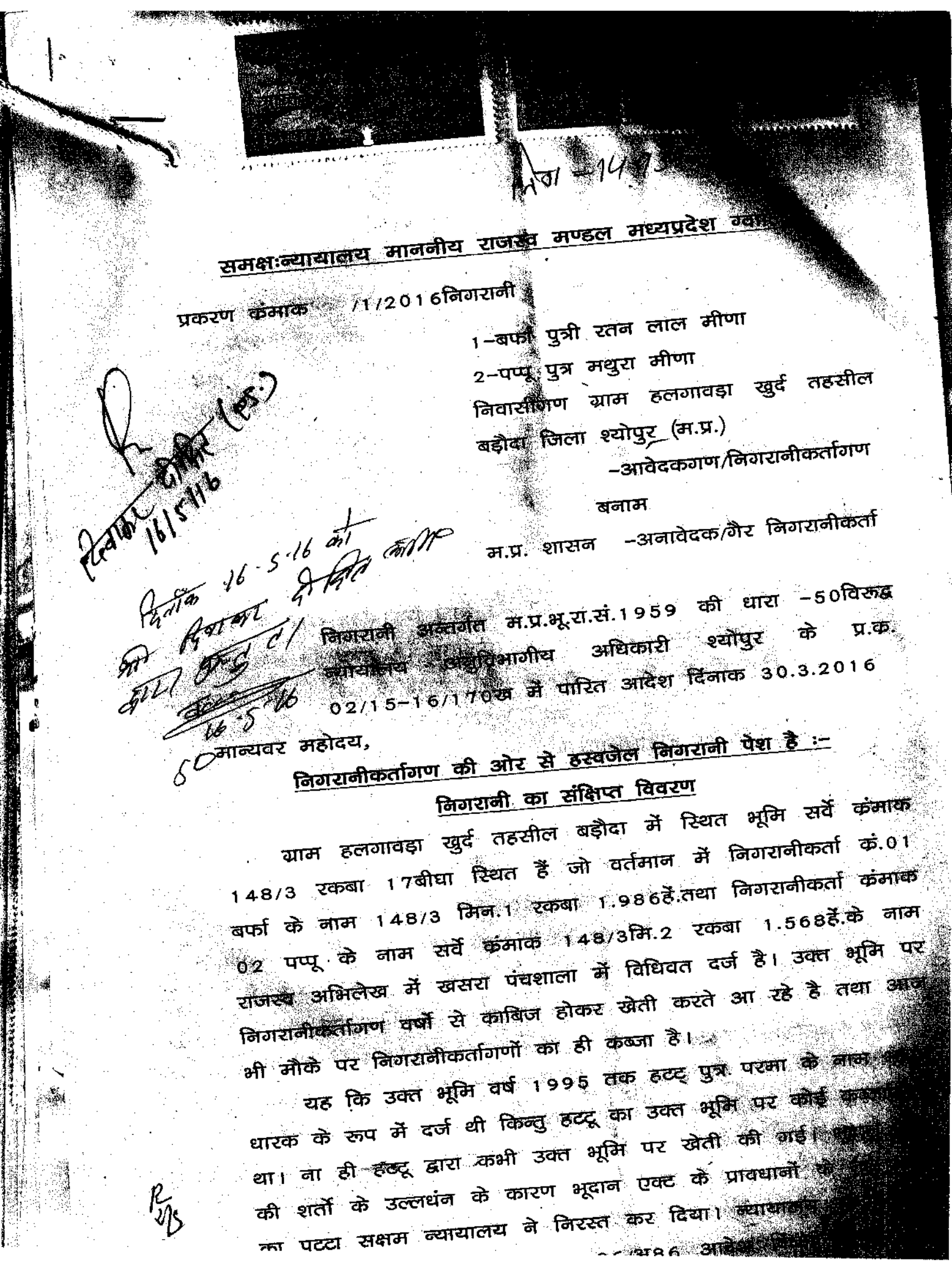

निग -14

## समक्षःन्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वा...

प्रकरण क्रमांक /1/2016निगरानी

1-बर्फा पुत्री रतन लाल मीणा

2-पप्पू पुत्र मथुरा मीणा

निवासीगण ग्राम हलगावड़ा खुर्द तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर (म.प्र.)

-आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

म.प्र. शासन -अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

दिनांक 16.5.16 को ... द्वारा ... 16.5.16

निगरानी अन्तर्गत म.प्र.भू.रा.सं.1959 की धारा -50विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्र.क. 02/15-16/170अ में पारित आदेश दिनांक 30.3.2016

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से हस्वजेल निगरानी पेश है :-

### निगरानी का संक्षिप्त विवरण

ग्राम हलगावड़ा खुर्द तहसील बड़ौदा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 148/3 रकबा 17बीघा स्थित हैं जो वर्तमान में निगरानीकर्ता क्रं.01 बर्फा के नाम 148/3 मिन.1 रकबा 1.986हें.तथा निगरानीकर्ता क्रमांक 02 पप्पू के नाम सर्वे क्रमांक 148/3मि.2 रकबा 1.568हें.के नाम राजस्व अभिलेख में खसरा पंचशाला में विधिवत दर्ज है। उक्त भूमि पर निगरानीकर्तागण वर्षो से काबिज होकर खेती करते आ रहे है तथा आज भी मौके पर निगरानीकर्तागणों का ही कब्जा है।

यह कि उक्त भूमि वर्ष 1995 तक हट्टू पुत्र परमा के नाम ... धारक के रुप में दर्ज थी किन्तु हट्टू का उक्त भूमि पर कोई ... था। ना ही हट्टू द्वारा कभी उक्त भूमि पर खेती की गई। ... की शर्तो के उल्लधंन के कारण भूदान एक्ट के प्रावधानों के ... का पट्टा सक्षम न्यायालय ने निरस्त कर दिया। न्यायालय ... ...86 आदेश ...

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1493/एक/2016 जिला–श्योपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9-6-16 | यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 02/2015 –16/170ख में पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 ( जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा ) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के न्यायालय एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि उनकी भूमि पर आवेदक द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है। जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है कि ग्राम हलगाबड़ा खुर्द, तहसील बडौदा में स्थित भूमि खसरा नं.148/3 रकवा 17 बीघा भूमि हट्टू पुत्र परमा सहरिया, निवासी ग्राम रतोदन के नाम राजस्व में सम्बत 2053 तक भू–दानधारी के रूप में दर्ज है। वर्ष 2013–14 खसरा बी–1 निकालने पर जानकारी हुयी कि सर्वे क्र0148/3 मि.2 रकवा 1.568 हैक्टेयर पप्पू पुत्र मथुरा मीणा और सर्वे क्र0 148/3 मि.1 रकवा 1.986 हैक्टेयर पप्पू की पत्नी बर्फा पुत्री रतन लाल मीणा, निवासीगण ग्राम हलगाँवडा खुर्द के नाम करा ली है, ऐसी स्थिति में उनकी भूमि पर राजस्व अभिलेखों में उनका नाम | |

पूर्ववत दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिवत जाँच किये बिना ही आदेश दिनांक 30.03.2016 से राजस्व अभिलेखों से आवेदकगण का नाम हटाये जाने और राजस्व अभिलेखों में आवेदनकर्त्ताओं के नाम पूर्ववत दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित कर भूमि के राजस्व अभिलेखों से आवेदकगण का नाम हटाये जाने का आदेश पारित किया है, साथ ही साथ यह आदेश दिया है कि उनके विरुद्ध एस.सी./एस.सी.एक्ट के तहत पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया जाये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना अतिआवश्यक है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह नैसर्गिक न्याय एवं बिना किसी जाँच के होने से प्रथमदृष्टि में ही निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि वर्तमान

प्रकरण में विधिवत जाँच की जाकर आदेश पारित किया गया है। आवेदकगण ने बिना किसी वैध दस्तावेज के आधार पर आदिवासियों की भूमि पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है, इसलिए ऐसी कार्यवाही विधि एवं न्याय के विपरीत है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया एवं आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वर्ष 1995 तक हट्टू पुत्र परमा के नाम भूदान धारक के रूप में दर्ज थी किन्तु हट्टू का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं था और ना ही वर्तमान में है, ऐसी स्थिति में भूदान पट्टे के शर्तो के उल्लंघन के कारण हट्टू का पट्टा सक्षम न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 66/95–96/अ–86 में पारित आदेश दिनांक 27.12.95 से पट्टा निरस्त कर दिया गया और भूमि शासकीय घोषित कर दी गयी। तत्पश्चात् नायब तहसीलदार वृत्त–1 बडौदा ने प्रकरण क्रमांक 89/01–02/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 30.09.02 से आवेदक क्रमांक 1 बरफाबाई के सर्वे क्रमांक 148/3 में से रकवा 9 बीघा 10 विस्वा तथा आवेदक क्रमांक 2 पप्पू के नाम रकवा 7 बीघा 10 विस्वा विधिवत आबंटन किया गया था, तब से निरंतर खसरा पंचशाला में आवेदकगण का दर्ज चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना जो आदेश

पारित किया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इस संबंध में 2007(2) एस.सी.सी. 181, 2008(14) एस.सी.सी. 151 एवं ए.आई.आर.1991, एस.सी. 1216 ए.आई.आर.198, एस.सी. 136, 2010 आर.एन. 101 उच्च. न्याया. द्वारा न्यायदृष्टांतों में स्पष्ट किया गया है कि सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कानूनी उपबंध नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होगा, ऐसी स्थिति में जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, वह विधिवत एवं उचित नहीं है। प्रकरण में आदेश जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पारित हुआ है, जबकि किसी भी प्रकार की कोई जाँच आवेदक के समक्ष नहीं की गयी है जहाँ तक धारा 170ख के प्रावधानों का प्रश्न है तो धारा 170ख किसी अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजाति के नाम की जानेवाली कार्यवाही से संबंधित हैं परन्तु इस प्रकरण में आवेदकगण ने शासन से प्राप्त की है, ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में संहिता की धारा 170 के प्रावधान लागू नहीं होते। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थितियों पर विधिवत विचार किये बिना प्रकरण में जो कार्यवाही की गयी है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2015-16/170ख में पारित आदेश दिनांक 30.03.2016 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं नायब तहसीलदार वृत्त-3

बडौदा, तहसील श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 89/01-02/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2002 स्थिर रखा जाकर सक्षम न्यायालय बडौदा को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें।

सदस्य